भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 870
जिसका उत्तर बुधवार, 26 जून, 2019 को दिया जाना है

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन

+870. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक मंच पर आम चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणापत्रों में किए गए वादों की पूर्ति के बारे में तीसरे वर्ष में ब्यौरा देने और उन वादों को पूरा करने पर ही उन राजनीतिक दलों की मान्यता कायम रखने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : सार्वजनिक मंच पर आम चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणापत्रों में किए गए वादों की पूर्ति के बारे में तीसरे वर्ष में ब्यौरा देने और उन वादों को पूरा करने पर ही उन राजनीतिक दलों की मान्यता कायम रखने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****